

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

7

आज अदालत इश्वरचन्द्र अधिकारी मुकाम टोडाभीम व
 इजलास वीठाना अधिकारी श्री जगदीश आर्य सि. पी. ड.
उन्वान

प्रहाराण पुत्र मूलका
 रामनरेश पुत्र रामचरण
 मिमीना निवासी -
 नौली तहसील -
 टोडाभीम - करौली

बनाम

1 कंचन / विप्रयोचन्द्र
 2 जगन / जाति मीना
 निवासी - रामौली तह
 टोडाभीम जिला -
 करौली

इसकाराररक एवं स्थायी विधिवाजा मुकदमा नं० 48/ सन् 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेशचन्द्र शास्त्री व हाजिरी
सुनील कुमार जिन्दल मिनकानिब गुदई रुबरु हमोर
 सब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

वादीजण द्वारा अपने वायपत्र के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य
 सबूत पेश नहीं किये। साक्ष्य सबूत के अभाव में
 वादीजण का दावा खारिज किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 का अदा करो। 09-02- सन् 2016
 मुहुर अदालत के आज तारीख माह



दस्तखत उपजितल कलकटर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

| मुदायला | रुपया | पैसे |
|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिशनर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | |

मीजान गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।